

प्रपत्र-1 (भाग-क)

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं के लिए
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र
(विद्यार्थी / अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता :

2. पिता/अभिभावक का नाम :

3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : कक्षा :

4. निवास स्थान का पता :

5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : कि०मी

A. कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएँ:-

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए -

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है।

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है।

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है।

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए -

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है।

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है।

• विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है।

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए -

• बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है।

IV. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -

• बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है।

V. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 10 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए -

• बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है।

VII. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :-

• एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है।

• स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जानी है।

(अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर)

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

प्रपत्र – 1 (भाग– ख)
 (कार्यालय उपयोग हेतु)
संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से कुल बालक-बालिकाओं ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिये आवेदन किया है। इनके सभी तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है एवं सभी तथ्य सही पाये गये हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023-24 के दिशा-निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है। सत्र 2023-24 के लिये पात्र / चयनित विद्यार्थियों की सख्त्यात्मक कक्षावास सूचना निम्नानुसार है –

क्र0स0	कक्षा	पात्र / चयनित विद्यार्थी संख्या
1	Class – 1	
2	Class – 2	
3	Class – 3	
4	Class – 4	
5	Class – 5	
6	Class – 6	
7	Class – 7	
8	Class – 8	
9	Class – 9	
10	Class – 10	
	Total	

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र-2
भाग-क
एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा / अनुमोदन

SMC/SDMC की बैठक दिनांक को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच की गई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना वर्ष के दिशा-निर्देश अनुसार समिति निम्नलिखित विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा की जाती है:—

विद्यालय का नाम—

क्र. स.	एस. आर. संख्या	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	कक्षा	बैंक का नाम	आईएफएससी नं०	खाता संख्या खाता धारक का नाम

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

SK2

प्रपत्र-2 (भाग - ख)
संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर
अंकन व अनुमोदन/स्वीकृति

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंसा उपरान्त प्राप्त प्रपत्र-2 भाग-के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023-24 के दिशा-निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र-3
पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय
एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति
(ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक को हुई। बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आई.संख्या	कक्षा	वयः उमेर	सुविधा (ट्रांसपोर्ट वाउचर (1) / सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

उपयोगिता प्रमाण—पत्र (पीईईओ स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....

विद्यालय का प्रकार — पीईईओ / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

ट्रांसपोर्ट वाउचर प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्राप्त राशि रु. में से रूपये का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है —

शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	शैक्षणिक सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल उपयोग की गई राशि निःशुल्क सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में	एसाएनए से बैंक खाते में रीदें लाभान्वित	कुल उपयोग की गई राशि	शेष राशि

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्था प्रधान

कार्यालय ब्लॉक जिला

उपयोगिता प्रमाण—पत्र (ब्लॉक स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के विद्यालयों को जारी की गई ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का उपयोग
संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु परिषद् से जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में
यूसी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/उमावि	ट्रांसपोर्ट वाउचर			वि.वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)
ट्रांसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में जिला को ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में प्राप्त राशि रुपये में से जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं कुल राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ सख्ता पर प्रविष्ट किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिज़ा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है। प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अंधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

(डॉ० मोहन लाल यादव)
आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/वैशि/ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा-निर्देश/2023-24/ 1880 दिनांक : 14/6/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा. स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ/ पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर को लेख है कि विद्यार्थियों के निवास से विद्यालय की दूरी का आधार अन्य संस्कृत विद्यालय के साथ-साथ शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय की निकटतम दूरी की गणना करते हुये प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Mohan Lal
Yadav
Designation : State Project Director
Date: 2023.06.14 11:29:57 IST
Reason: Approved

10

